प्रेस नोट, थाना उसहैत, जनपद बदायूँ

दिनाँक 07.01.2026 (पुलिस मुठभेड़)

- थाना उसहैत क्षेत्रांतर्गत राजाराम पुत्र भूमिराज की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार ।

- कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद ।

दिनांक 06.01.2026 को थाना उसहैत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अहमद नगर बछौरा के रहने वाले राजाराम पुत्र भूमिराज की अभियुक्त अफसर उर्फ बौना उर्फ पहलवान पुत्र असगर अली निवासी ग्राम अहमद नगर बछौरा थाना उसहैत बदायूँ हाल निवासी ग्राम नौली फतुआबाद थाना उसहैत बदायूँ द्वारा गंगा नदी से पकड़ी गयी मछलियों को छीनने को लेकर विवाद होने पर गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना उसहैत पर मु0अ0सं0- 08/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 बनाम अफसर उर्फ बौना उर्फ पहलवान उपरोक्त एवं अन्य साथी नाम व पता अज्ञात पंजीकृत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ, डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण में थाना उसहैत पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के अनुसार थाना उसहैत क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग के दौरान भुण्डी मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम की गाड़ी रूकने पर संदिग्ध व्यक्ति तुरन्त ग्राम भुण्डी की ओर भागने लगा जिसे रूकने को कहा गया तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे पुलिस टीम बाल- बाल बची, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी फायरिंग में अभियुक्त उपरोक्त के दोनो पैरों में गोली लगने से घायल हो गया । घायल अभियुक्त से उसका नाम व पता पूछा गया तो अपना नाम अफसर उर्फ बौना उर्फ पहलवान पुत्र असगर अली निवासी ग्राम अहमद नगर बछौरा थाना उसहैत बदायूँ हाल निवासी ग्राम नौली फतुआबाद थाना उसहैत बदायूँ बताया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस व नाल में फसा हुआ 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ । घायल अभियुक्त को पुलिस सुरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल बदायूँ में भर्ती कराया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अफसर उर्फ बौना उर्फ पहलवान पुत्र असगर अली निवासी ग्राम अहमद नगर बछौरा थाना उसहैत बदायूँ हाल निवासी ग्राम नौली फतुआबाद थाना उसहैत बदायूँ ।

पूछताछ का विवरणः-

पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त अफसर उर्फ बौना उर्फ पहलवान उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो पूछताछ मे बताया कि मै और राजाराम पहले साथ साथ रहते थे और हमने घटनाऐं साथ –साथ की हैं घटना वाले दिन मैने गंगा में मछली मरवाई थीं जिसमें से राजाराम ने तीन कट्टे मछली मेरी छीन ली थी इसी बात को लेकर

मुझे गुस्सा आ गया था जिसके कारण मैने उसको तलाश कर मुगर्रा मोड़ पर अपने तमंचे से गोली मार दी थी तथा राजाराम वही मौके पर गिर गया था, फिर मै वहाँ से तमंचा लेकर भाग गया था ।

घटनास्थल, दिनांक

दिनांक 07.01.2026 को ग्राम भुण्डी मोड़ कटरा सहादतगंज रोड़ पर थाना उसहैत जनपद बदायूँ ।

विवरण बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस व नाल में फसा हुआ 01 खोखा कारतूस 315 बोर ।

आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त अफसर उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 79/2002 धारा 399/402 भादवि व 25/27 A ACT थाना मानदेश जिला खुद (उड़ीसा) ।

2. मु0अ0सं0- 659/2009 धारा 110 जी थाना उसहैत बदायूँ ।

3. मु0अ0सं0- 808/2009 धारा 307 भादवि थाना उसहैत बदायूँ ।

4. मु0अ0सं0- 30/2011 धारा 457/380/411 भादवि थाना सिद्धपुरा जिला एटा ।

5. मु0अ0सं0- 42/2011 धारा 380/411 भादवि थाना जैधरा जिला एटा

6. मु0अ0सं0- 51/2011 धारा 147/148/149/307/401 भादवि थाना जेधरा जिला एटा

7. मु0अ0सं0- 115/2015 धारा 386/307 भादवि थाना उसहैत बदायूँ ।

8. मु0अ0सं0- 43/2015 धारा 307/386 भादवि (गैरजनपद)

9. मु0अ0सं0- 348/2018 धारा 364/323/504 भादवि थाना उसहैत जनपद बदायूँ ।

10. मु0अ0सं0- 326/2018 धारा 323/324/325/504/506 भादवि थाना उसहैत जनपद बदायूँ ।

11 मु0अ0सं0- 39/2022 धारा 323/325/504 भादवि थाना उसहैत जनपद बदायूँ ।

12. मु0अ0सं0- 186/2023 धारा 8/15 NDPS ACT थाना उसहैत जनपद बदायूँ ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः -

थानाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह थाना उसहैत, जनपद बदायूँ मय पुलिस टीम ।